

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन [2025 का प्रतिवेदन संख्या 02 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I)] भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन को दिनांक 28 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया था। इस प्रतिवेदन को दिनांक _____ हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पटल पर रखा गया है।

इस प्रतिवेदन में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार के वित्त, योजना, राज्य कर एवं आबकारी व राजस्व विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों को शामिल किया गया है और इसमें एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 11 स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) को वित्तीय प्रबंधन में सुधार, वित्तीय लेनदेन के मैनुअल प्रसंस्करण में कमजोरियों को दूर करने और राज्य सरकार के वित्तीय संचालन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रणाली कार्यक्षमताओं और नियंत्रणों के फ्रंट-एंड एक्सेस और परीक्षण के माध्यम से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वेब-आधारित मुख्य एप्लिकेशन अर्थात् ई-बजट, ई-वितरण, ई-बिल, ई-सैलरी, एचपी ओएलटीआईएस, ई-चालान के प्रमुख मॉड्यूल की जांच की। इसके बाद राज्य के चार जिला स्तरीय कोषागारों अर्थात् जिला कोषागार कार्यालय शिमला, शिमला कैपिटल, कुल्लू और बिलासपुर एवं उप-कोषागारों, में 2017-22 की अवधि के रिकॉर्ड की नमूना जांच की गई जिसमें निम्नलिखित कमियों का पता चला है:

परियोजना प्रशासन के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अभाव ने संस्थागत नियंत्रण को कमजोर कर दिया। उपयोगकर्ता की स्वीकृति परीक्षण के बिना उत्पादन वातावरण में सीधे परिवर्तन किए गए थे।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को प्रक्रिया नियंत्रण को मजबूत किए बिना पेंशन, ट्रेजरी प्रोसेसिंग, वेतन और बजट वितरण से संबंधित पूर्व-मौजूदा मॉड्यूल को एकीकृत करके लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, संदर्भ डेटा के बिना इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति आदेशों की अनुपस्थिति ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में दर्ज वाउचर जानकारी की पूर्णता को प्रभावित किया। आवश्यक कार्यक्षमता के अभाव में सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिल ट्रेकिंग जैसी वित्तीय प्रक्रियाओं को मैनुअली निष्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण (152 मामले) सामने आए जहाँ विस्तृत आकस्मिक बिल राशि सार आकस्मिक बिल राशि से अधिक थी।

कई अनुप्रयोग नियंत्रण कमजोरियां देखी गईं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना बिल तैयार किए जा सकते थे, और कई मामलों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी वैधता की समाप्ति के बाद वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए संसाधित किए गए थे। उदाहरण के लिए, आहरण एवं संवितरण अधिकारी वैधता तिथि की समाप्ति के बाद अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के बीच 90 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ₹ 2,467 करोड़ की राशि के 10,938 बिल पारित किए गए थे। किसी लेनदेन को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता वाले मूल निर्माता-जांचकर्ता सिद्धांत का उल्लंघन ई-बिल, ई-वितरण और साइबर ट्रेजरी सहित सभी मॉड्यूलों में किया गया, जहाँ आवंटन से सत्यापन तक सभी चरणों को करने के लिए विभाग अध्यक्ष क्रेडेंशियल्स के तहत काम करने वाले एकल उपयोगकर्ता थे। 106 कोषागारों और उप-कोषागारों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रत्येक कोषागार में एक ही कर्मचारी द्वारा 9,58,957 बिलों में टोकन संख्या आवंटन, संकलन, जांच और बिलों को पारित करना पूरा किया।

मास्टर डेटा गवर्नेंस प्रविष्टियों के दोहराव और अधूरे रिकॉर्ड के साथ खराब था। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में दर्ज 1,88,282 कर्मचारियों में से, 36,212 कर्मचारियों के लिए पीएएन उपलब्ध नहीं था, जिससे यह स्थापित करना मुश्किल हो गया कि क्या कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटा गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 439 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दो से 105 कोषागारों/उप-कोषागारों से जोड़ा गया है। इसके अलावा, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (जून 2023) के पेंशन मॉड्यूल में 1,81,632 पेंशनभोगी मौजूद थे, हालांकि ई-पेंशन पोर्टल में 1,85,512 आधार नंबर अपडेट किए गए थे, जो अविश्वसनीय डेटा का सुझाव देते थे। ई-चालान जैसे सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले मॉड्यूल उचित खाता शीर्षों तक पहुँच को प्रतिबंधित नहीं करते, जिससे गलत चालान जमा होने का जोखिम रहता है।

इस प्रणाली ने एक ही लाभार्थी के लिए कोषागारों और आहरण एवं संवितरण अधिकारी में कई और अनधिकृत भुगतान (छुट्टी नकदीकरण, डीसीआरजी और कम्प्यूटेशन सहित) की अनुमति, अक्सर ऐसे भुगतान का कारण दर्ज किए बिना दी। अभिलेखों की परीक्षण जांच से पता चला कि एक ही राशि के अवकाश नकदीकरण भुगतान 14 मामलों में दो बार संसाधित और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस से पारित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.33 लाख का अनधिकृत भुगतान हुआ। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए ₹ 10.00 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक के कई बिल निकालकर 32 दावेदारों के बैंक खातों में संचयी रूप से ₹ 180.05 लाख का अतिरिक्त भुगतान जमा किया गया था। जिला कोषागार कांगड़ा में मार्च 2017 और जुलाई 2017 के बीच एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा मूल अथॉरिटीज के बिना 19 बिल उत्पन्न करके ₹ 68.11 लाख का दुरुपयोग किया गया था। कुल राशि में से, ₹ 29.62 लाख अभी भी वसूल किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा, पांच कोषागारों के 15 मामलों के संबंध में, मार्च 2017 और फरवरी 2021 के बीच एक ही पीपीओ के विरुद्ध समान कम्प्यूटेशन राशि दो बार जारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को ₹ 77.81 लाख का अनधिकृत भुगतान हुआ।

अपूर्ण कर्मचारी मास्टर डेटा, जिसमें परिवार विवरण न होना और असंगत तिथि सत्यापन शामिल हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और पेंशन संवितरण में निरंतर मैनुअल हैंडलिंग को आवश्यक बनाता है। 23,391 पारिवारिक पेंशनभोगियों में से, 10,599 पारिवारिक पेंशनभोगियों (पीपीओ) के मामले में, एक ही नाम और पीपीओ नंबर के विरुद्ध जन्म की अलग-अलग तिथि का उल्लेख किया गया था, जो दर्शाता है कि प्रणाली एक ही परिवार पेंशनभोगी के विरुद्ध अलग-अलग जन्म की तिथि के साथ दोहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है कि 1,204 मामलों में, पारिवारिक पेंशन शुरू करने की तिथि मृत कर्मचारी/ पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से पहले थी।

प्रणाली सुरक्षा और निरंतरता योजना की कमी थी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग अनिवार्य नहीं किया गया था, और रोल बेस्ड पहुंच को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया था। मैनुअल ओवरराइड ने डेटा अखंडता में कमजोरियां उत्पन्न कर दीं। उदाहरण के लिए, वेतन के संबंध में, बिल तिथि टोकन तिथि से पहले होनी चाहिए जो पारित होने की तिथि से पहले होनी चाहिए। हालांकि, 356 मामलों में परीक्षण जांच से पता चला कि टोकन तिथि से पहले पारित होने की तिथि दर्ज की गई थी, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी। अभिगम नियंत्रणों ने उपयोगकर्ताओं को अपनी भूमिकाओं के बाहर मॉड्यूल या डेटा तक पहुंचने से नहीं रोका। कोषागार, लेखा और लॉटरी विभाग ने न तो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का परिवर्तन के बाद सुरक्षा लेखापरीक्षा की थी और न ही बहाली का परीक्षण करके बैकअप की विश्वसनीयता को सत्यापित किया था। सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम (एसआईआरटी) जैसे संस्थागत तंत्र का गठन नहीं किया गया था, और लेनदेन लॉग की अनुपस्थिति का मतलब था कि अनधिकृत पहुंच का पता नहीं लगाया जा सकता या जांच नहीं की जा सकती थी।

कोई व्यवसाय निरंतरता योजना या आपदा वसूली योजना नहीं थी, न ही डेटा वर्गीकरण, प्रतिधारण अवधि और जोखिम-आधारित अभिलेखीय मार्गदर्शन करने के लिए एक औपचारिक डेटा प्रतिधारण नीति थी, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन व्यवधान और डेटा हानि के प्रति संवेदनशील हो जाते थे।

डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन कमियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर गबन और धन के अनधिकृत भुगतान/ निकासी की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्षतः, हिमाचल प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डिजाइन संबंधी खामियों, आंतरिक नियंत्रणों के कमजोर प्रवर्तन, खंडित प्रणाली एकीकरण और सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता और राजकोषीय शासन में कमियों से ग्रस्त है। ये कमियां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय और जवाबदेह मंच के रूप में प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

रिटर्न फाइल करने की बदलती प्रवृत्ति एवं लगातार डेटा असंगतियों के संदर्भ में जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित

की गई, जिसका उद्देश्य रिटर्न फाइल करने व कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें जुलाई 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य की अवधि के लिए फाइल किए गए वस्तु व सेवा कर रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों एवं कुछ मामलों में नियम आधारित विचलनों एवं तर्क संबंधी असंगतियों को रेखांकित किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य के क्षेत्राधिकार गठन की निगरानी कार्यों का आकलन दो स्तरों पर किया गया - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर एवं सर्कलों व जीएसटी रिटर्न की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर। लेखापरीक्षा नमूने में वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न की सीमित लेखापरीक्षा हेतु 336 करदाताओं एवं विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 55 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की। विभाग केवल आर्थिक जांच इकाई (ईआईयू) द्वारा चिह्नित जीएसटी रिटर्न संबंधी विसंगतियों पर ही कार्रवाई कर रहा था। जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि हेतु 10 सर्कलों की समीक्षा से पता चला कि रिटर्न फाइल की निगरानी, करदाता अनुपालन जैसे सर्कलों के अनिवार्य निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था और आकलन करने के योग्य नहीं था। इस प्रकार सर्कलों के कार्यों को न तो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया था और न ही किसी सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होते थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 336 मामलों में से 315 पर प्रतिक्रिया दी। इनमें से, 202 मामले जो 64.12 प्रतिशत हैं, अनुपालन संबंधी कमियों के थे, जिनमें (टर्नओवर सहित) ₹ 484.14 करोड़ की राशि असंगत थी। ब्याज का अल्प भुगतान/भुगतान न करना, असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), अधिक रिवर्स चार्ज मकेनिज्म (आरसीएम) आईटीसी प्राप्त करना तथा गलत टर्नओवर घोषणाओं में अपेक्षाकृत अधिक कमियां देखी गईं। 12 प्रतिशत मामलों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगतियां उत्पन्न हुईं, जबकि पांच प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। विभाग ने ₹ 211.14 करोड़ का जोखिम चिह्नित की गई विसंगतियों के 21 मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी उल्लेखनीय गैर-अनुपालन का पता चला। आरम्भ में, 55 करदाताओं के नमूने में से 23 मामलों में वित्तीय विवरणी व चालान जैसे आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए तथा अन्य 32 मामलों में आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए, जिससे बड़ी कार्य-क्षेत्र बाधा उत्पन्न हुई। अभिलेख प्रस्तुत न करने/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लेखापरीक्षित किए गए 55 मामलों में से लेखापरीक्षा में 15 अनुपालन कमियां पाई गईं, जिनसे ₹ 106.56 करोड़ का राजस्व अंतर्निहित था। इसके मुख्य कारण अपात्र व अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति को कराधान से बाहर रखना तथा आरसीएम के तहत कर का गलत निर्वहन करना थे।

कर देयता के अधिक आस्थगन के कारण ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की हानि

निर्धारण प्राधिकारियों ने राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों के तीन नमूना जांच कार्यालयों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन से पहले 35 प्रतिशत कर देयता के आस्थगन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ की कर देयता का अतिरिक्त आस्थगन हुआ।

इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक अनुमत करने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की हानि

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में अंतिम स्टॉक में बिना बिके स्थानीय खरीद को निर्धारण में उचित रूप से नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप 114 विक्रेताओं को ₹ 10.05 करोड़ का अधिक आईटीसी अनुमत हुआ, जो एक वर्ष के लिए ₹ 10.05 करोड़ के सरकारी राजस्व के आस्थगन तथा ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज की हानि में परिणत हुआ।

शराब की संदिग्ध चोरी

थोक विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य अंतर होने के परिणामस्वरूप 1.26 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, 1.38 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब एवं 1.16 लाख बल्क लीटर बीयर की संदिग्ध चोरी हुई, जिसमें कुल ₹ 9.71 करोड़ का लाइसेंस शुल्क अंतर्निहित था।

शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (एमजीक्यू) का आवंटन न होने से राजस्व की हानि

आबकारी प्राधिकरण द्वारा आबकारी घोषणा 2020-21 के अनुसार शराब के एमजीक्यू के गैर-आवंटन के कारण शराब के लिए कोटा (देशी शराब के लिए 0.99 लाख प्रूफ लीटर और भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए 0.56 लाख प्रूफ लीटर) का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में ₹ 5.22 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई।

राजस्व विभाग

संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण

गलत सर्कल दरों के आधार पर संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन एवं सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में संदिग्ध शपथ-पत्रों के परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली हुई।

योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम

जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन न होने एवं निधियों के अवरोधन का मुद्दा मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में रेखांकित किया गया था। लोक लेखा समिति में चर्चा (मार्च 2015) के दौरान विभाग ने आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यह

अनियमितता बनी रही क्योंकि वर्ष 2018-19 व 2021-22 के मध्य जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने अपेक्षित 48 बैठकों की तुलना में केवल दो बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि निधियों के अनियमित पुनर्विनियोजन एवं वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह जैसे दृष्टांत देखे गए। बुक किए गए व्यय में केवल वह राशि दर्शाई गई जो वर्ष 2018-22 के दौरान निष्पादन एजेंसियों को जारी की गई थी, क्योंकि लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2021-22 की समाप्ति में छह नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों के पास ₹12.22 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां शेष थी। योजना निगरानी सूचना प्रणाली को अद्यतन नहीं किया गया तथा इससे योजनाओं/कार्यों के निष्पादन की समय-सीमा का पता नहीं चल सका। अप्रैल 2018 से पूर्व स्वीकृत कार्य चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सितंबर 2022 तक अपूर्ण रहे। निर्मित अधोसंरचना के उपयोग न होने के उदाहरण पाए गए। सिरमौर में वर्ष 2018-22 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में ₹2.88 करोड़ के उपयोगिता-प्रमाणपत्र अक्टूबर 2022 तक लंबित थे। सलाहकार (योजना) द्वारा जारी निर्देशों (अक्टूबर 1999 व अक्टूबर 2018) के अनुसार ऋण योजना अधिकारी जिला एवं खण्ड स्तर पर लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे तथा योजना शीर्ष योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करेंगे। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित जिलों में ऋण योजना अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित डायवर्जन एवं दुरुपयोग

राज्य कार्यकारी समिति ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा मरम्मत और पुनर्स्थापन के अस्वीकार्य कार्यों, जो आवश्यक नहीं थे या किसी आपदा/प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, पर ₹ 22.61 करोड़ का अनियमित डायवर्जन और दुरुपयोग किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन के अनियमित उपयोग और दुरुपयोग का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी किया गया था तथा लोक लेखा समिति ने उनकी अनुशंसाओं (दिसंबर 2019) में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार सख्ती से निधियां जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, जिला प्राधिकारियों ने दिशानिर्देशों/लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

विभाग कर सकता है:

क. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन के लिए:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना। एसडीए (एनआईसी) की मदद से पूर्ण दस्तावेजीकरण बनाए रखा जा सकता है।

- न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बजट तैयारी से बिल प्रक्रिया तक एंड टू एंड प्रोसेसिंग की सुविधा और सभी प्रकार के बिलों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मॉड्यूल में अधिकृत कर्मियों के कर्तव्यों और भूमिकाओं का पृथक्करण सुनिश्चित करें।
- आपदा वसूली योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना के रूप में एक मजबूत डेटा वसूली और डेटा बैक-अप योजना स्थापित करें।

ख. वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइल करने के लिए:

- विभाग रिटर्न विलम्ब से फाइल करने वालों/फाइल न करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिटर्न की जांच प्रारंभ कर उसे शीघ्रता से पूर्ण करें।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों/विचलनों का त्वरितता से पालन करें तथा सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करें।